राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।
वाद संख्या–74/2021
मिथुन पासवान बनाम् उर्मिला देवी

इस वाद की अंतिम सुनवाई दिनांक–25.04.2024 को हुई वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सिंह उपस्थित।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने सुविधानुसार जाति बदल–बदल कर आरक्षण का लाभ लिया जा रहा है। वर्ष–2016 के पंचायत आम निर्वाचन में इनके द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र का उपयोग किया गया, जबकि वर्तमान पंचायत आम निर्वाचन–2021 में इनके द्वारा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित पद पर विजय प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को साक्ष्य स्वरूप प्रतिवादी के वर्ष–2016 एंव वर्ष–2021 का नामांकन–पत्र का अवलोकन कराया गया। आगे उनके द्वारा प्रतिवादी के जाति प्रमाण–पत्र संख्या–C/16/01227, दिनांक–01.03.2016 का अवलोकन कराया गया तथा आयोग को बताया गया कि पूर्व में इनके द्वारा **"घटवार"** जाति के प्रमाण–पत्र का प्रयोग किया गया था, जो कि अत्यन्त पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आता है। उनके द्वारा बैजनाथ सिंह वाद के आलोक में प्रतिवादी के जाति प्रमाण–पत्र को रद्द करने हेतु राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) को संदर्भित करने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के उक्त आरोपों का खण्डन किया गया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी कर अपने जाति नहीं बदल दी गई है। उनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि विगत चुनाव में जानकारी के अभाव के कारण उन्होंने अपने पति के जाति से जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया था, जबकि उन्हें इस तथ्य का ज्ञान हो चुका है कि जाति का निर्धारण पिता के जाति से होती है, तो उन्होंने पिता के जाति के अनुरूप अपनी जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त की है। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि उनकी मुवक्किल का विवाह अन्तर्जातीय हुआ है।

सुनवाई के क्रम में प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आयोग को बताया गया कि विगत् चुनाव में उर्मिला देवी चुनाव हार गई थी। वर्तमान जाति प्रमाण–पत्र उनके पिता– श्री जर्मन राय के पूर्वजों के खतियान में अंकित जाति **"भूईयाँ"** के आधार पर निर्गत है, जो कि अनुसूचित जाति के अन्तर्गत अधिसूचित है।

आयोग द्वारा पाया गया कि श्रीमती उर्मिला देवी का निर्वाचन प्रखण्ड–शंभूगंज के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र–11 से हुआ है, जो कि अनुसूचित जाति(अन्य) श्रेणी में आता है, अर्थात् इस पद पर कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित है, जाति(श्रेणी) संबंधी अर्हता पूरी करता है एवं 21 वर्ष की आयु पूरी करने के साथ–साथ अन्य अर्हता को पूरा करता हो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकता था।

आयोग द्वारा जिला प्रशासन से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–1675/पं0, दिनांक–18.09.2023 का अवलोकन भी किया गया, तो यह पाया गया कि प्रतिवादी के पूर्वज श्री तितु राय वल्द मोहन राय के साविक खतियान वर्ष–1905 में कौम **''भुईया''** अंकित है। इसके आधार पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा उनकी जाति एवं जाति प्रमाण–पत्र को सही पाया गया है।

तथ्यों से प्रमाणित है कि प्रतिवादी की जाति **''भुईया''** अनुसूचित जाति हेतु बिहार राज्य में अधिसूचित श्रेणी के अन्तर्गत शामिल है तथा प्रतिवादी उसी श्रेणी की सदस्या है। **इस प्रकार वादी का दावा स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव इनके दावें/माँग को अस्वीकृत किया जाता है।**

प्रतिवादी के विगत् चुनाव में अपने पति के जाति के अनुसार जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने एवं चुनाव में भाग लेने हेतु वर्तमान कार्यकाल के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–125(क) के तहत दंडित नहीं किया जा सकता, **परन्तु यह भी प्रमाणित एवं स्वीकार किया गया तथ्य है कि विगत् निर्वाचन में भाग लेने हेतु संबंधित अंचलाधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा सरकार के दिशा–निर्देशों के विरूद्ध पति के जाति से प्रतिवादी का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया है।** अतः प्रथम दृष्ट्या तत्कालीन संबंधित कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी सरकार के दिशा–निर्देशों के विरूद्ध जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु दोषी है, क्योंकि जाति प्रमाण–पत्र की वैधता जीवन पर्यन्त होती है और इसके निर्गत होने के उपरांत इसके दुरूपयोग की आशंका सदैव बनी रहती है। **अतः प्रतिवादी के पक्ष में अत्यन्त पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण–पत्र संख्या–C/16/01227, दिनांक–01.03.2016 को निर्गत करने वाले तत्कालीन कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए, नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रपत्र–''क'' गठित कर इनके पैतृक विभाग को प्रेषित करते हुए, इसकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है, साथ ही साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बाँका को यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी के पक्ष में निर्गत किए गए, जाति प्रमाण–पत्र संख्या–**

C/16/01227, **दिनांक–01.03.2016** को रद्द करने हेतु सक्षम निकाय राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रेषित किया जाए एवं उस जाति प्रमाण–पत्र का अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए, विगत् निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–1567, दिनांक–05.02.2014 के कंडिका–4 (ग) के आलोक में कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0
(डॉ० दीपक प्रसाद)
07.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0
(डॉ० दीपक प्रसाद)
07.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–74 / 2021
पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना / सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0
विशेष कार्य पदाधिकारी
पटना, दिनांक–7.6.25

ज्ञापांक–74 / 2021 2593

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **बाँका** / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **बाँका** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **बाँका** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक / ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

07/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी